

28.06.19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चोकरो बानरा, पिता-स्व0 जमादार बानरा, ग्राम-बासा टोन्टो, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- टोन्टो, थाना- 650, खाता नं0- 40, प्लॉट नं0- 2462, रकवा - 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता त्रिभुवन पुरती, पिता- रामसिंह पुरती, ग्राम-सोनरो, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 424, दिनांक- 21.06.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता त्रिभुवन पुरती, पिता- रामसिंह पुरती, ग्राम-सोनरो, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 1,00,000.00/- (एक लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता चोकरो बानरा, पिता-स्व0 जमादार बानरा, ग्राम- बासा टोन्टो, थाना- मुफसिल क्रेता त्रिभुवन पुरती, पिता- रामसिंह पुरती, ग्राम-सोनरो थाना- मुफसिल के पास जमीन का 1,00,000.00/- (एक लाख) रूपये में मौजा- टोन्टो, थाना- 650, खाता नं0- 40, प्लॉट नं0- 2462, रकवा - 0.07½ एकड़ . जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।